

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III / 1102

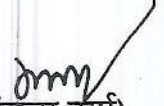
दिनांक :- 03/05/2018

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय के कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश / पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

| क्र.स.<br>(1) | लिन नं.<br>(2) | नाम (सर्वश्री) / पदनाम<br>(3) | वर्तमान विभाग<br>(4)                                                | अतिरिक्त कार्य का विभाग<br>(5)                               | अतिरिक्त कार्य का पद<br>(6) |
|---------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1             | 3270           | नेहरू लाल / कनिष्ठ लेखाकार    | निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, कला एवं संस्कृति विभाग, जयपुर - 137 | ग्रुप कमांडर ग्रुप हैडक्वार्टर, एन.सी.सी. विभाग, जयपुर - 850 | कनिष्ठ लेखाकार              |

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा ।

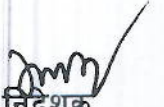
  
(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III / 1102

दिनांक :- 03/05/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II) / संयुक्त निदेशक (कार्मिक III) ।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. रक्षित निजी पत्रावली ।

  
निदेशक